न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –71/2022

ओमप्रकाश गुप्ता पिता श्री रामनारायण गुप्ता जाति महाजन आयु 74 वर्ष निवासी गुमानपुरा कोटा हाल निवासी 206 नया बाजार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

...............प्रार्थीया

बनाम

1. फूलचन्द पिता मोडू शर्मा उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी मोहना हाल निवासी चारभुजा मंदिर के पास केयर ऑफ शिव लाल शर्मा निवासी चारभुजा झालरबावडी तहसील रावतभाटा।
2. अनुप कुमार पिता राधेश्याम गुप्ता उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी कृष्णा नगर खडे गणेश जी के पास, कोटा जिला कोटा राजस्थान।
3. आरती पुत्री राधेश्याम गुप्ता उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
4. कामोदा पिता राधेश्याम गुप्ता उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
5. अरूण कुमार पिता राधेश्याम गुप्ता उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी कृष्णा नगर खडे गणेश जी के पास कोटा जिला चितौडगढ़।
6. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा। ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री आजाद हुसैन।
अप्रार्थीः– 01 अर्जुन सिंह चुण्डावत।
02 से 05 एकतरफा कार्यवाही, 06 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक – 21.08.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 44 खसरा संख्या 383, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394 कुल किता 08 कुल रकबा 4.64है0 लगानी 35.48 रूपये प्रार्थी एवं सहखातेदारी के नाम खाते दर्ज रिकार्ड चली आ रही है, जिस पर प्रार्थी अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त कृषि आराजी संख्या 383, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394 कृषि भूमि पर कदीमी समय से आने जाने के लिए एक आम रास्ता विपक्षी संख्या 01 के खसरा संख्या 343 रकबा 0.21है0 से होकर बना हुआ था, जो आम रास्ते से जुडा हुआ है, लेकिन उक्त रास्ता विपक्षी संख्या 01 ने रास्ता हांककर बंद कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थी व सहखातेदार अपने खातेदारी काश्त की आराजी पर आ जा नहीं पा रहे है, उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में तरमीम नहीं है, उक्त रास्ता जो आराजी संख्या 343 की मेड से लगता हुआ आराजी संख्या 393 व 394 में आता है, जो प्रार्थी के दर्ज [illegible] है, जिसे राजस्व रिकार्ड रास्ता कायम कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री[illegible] में प्र[illegible] करना आवश्यक हुआ है। उक्त पैरा नम्बर 01 में वर्णित कृषि [illegible] आने जाने के लिए बने उक्त आम रास्ता राजस्व रिकार्ड में [illegible] पडौसी विपक्षीगण संख्या [illegible] आने जाने के लिए परेशान करते है, इस संबंध में प्रार्थी द्[illegible] पुलिस थाना रावतभाटा [illegible]सीलदार को भी रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिए आराजी संख्या 343 से प्रार्थी रास्ता कायम कराना चाहता है, इसलिए मुझ प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.29 12:38:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

खातेदार व सह खातेदारी के कृषि आराजीयात परा आने जाने के लिए आराजी संख्या 343 में रास्ता कायम किया जावे तथा नक्शें में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाए, इसके लिए प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने के लिए तैयार है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में आराजी संख्या 393 व 394 में प्रार्थी व सहखातेदारी की कृषि आराजी पर आने जाने के लिए आराजी संख्या 343 में रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत ने पैरवी कर जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब अनुसार कॉलम संख्या 01 राजस्व रिकार्डसे संबंधित होने से जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 अस्वीकार होकर जवाब है कि प्रार्थी के खेत पर आने जाने का रास्ता किशनलाल पुत्र रामचंद्र ने बंद कर दिया है जिससे पूर्व में आता जाता था तथा न्यायालय श्रीमान द्वारा अप्रार्थी फुलचंद की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जादी स्वीकार किया था, जिस पर अनुप कुमार, आरती, कामोदा, अरूण कुमार पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता को पक्षकार बनाया था, लेकिन उनको पक्षकार बनाने से पूर्व ही पटवारी तहसीलदार रिपोर्ट आ चुकी थी, इसीलिए नये सिरे से तहसीलदार रिपोर्ट मंगवाई जाना न्यायोचित है ताकि न्यायालय को न्याय निर्णय करने में आसानी हो, अप्रार्थी फुलचन्द की आराजी में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं बना हुआ है, रंजीशवश यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 का प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 18.10.2023 को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 02 से 05 को पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 02 से 05 न्यायालय मे अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 06 पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 12.12.2022 को जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा की आराजी संख्या 383, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394 कुल किता 08 कुल रकबा 4.64है0 भूमि ओमप्रकाश पिता रामनारायण हिस्सा 1/8 जाति गुप्ता निवासी गुमानपुरा कोटा के नाम सह खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 393, 394 तक जाने के लिए कोई रास्ता दर्ज रिकार्ड नहीं है। आराजी संख्या 393, 394 तक पहुंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। आवेदन अनुसार आराजी संख्या 393, 394 तक पहुंचने के लिए आराजी संख्या 343 की मेड के सहारे–सहारे रास्ता चाहा गया है, राजस्व रिकार्ड के अनुसार आराजी संख्या 343 रकबा 0.21है0 भूमि फूलचन्द पिता मोडूलाल ब्राहम्ण सहखातेदारी के नाम दर्ज रिकार्ड है जो बैंक ऑफ बडौदा शाखा रावतभाटा में रहन दर्ज है। प्रस्तावित भूमि से यदि रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी को आराजी संख्या 393, 394 को उक्त रास्ता मोहनासे खातीखेडा जाने वाले मुख्य रास्ते से जोडेगा। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि आराजी संख्या 343 में लम्बाई 100 मीटर एवं व चौडाई 4 मीटर के आधार पर 100X4=400 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि प्रचलन डीएलसी दर 480000 रू प्रति हैक्टयर अथवा 48 रू प्रति वर्गमीटर है। प्राथी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 400 वर्गमीटर है। अतः प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 400 X48=19200 [illegible] है। जिसका दुगुना शुल्क 19200 X2=38400 रूपये का भुगतान संबंधित [illegible] करना [illegible]ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.29 12:38:55 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्ष को [illegible] पत्रावली का [illegible] प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती [illegible] था वे वर्तमान में विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 343की मेड की सहारे–सहारे से रास्ता चाहा गया। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षीगण खातेदार को देने को तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु कम दूरी का अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–251 (ए) बाबत ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 44 खसरा संख्या 393, 394 कुल किता 02 कुल रकबा 0.84 है0 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 343 में से जो न्यूनतम दूरी का मार्ग होने से तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 400 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 480000/रू. अनुसार कीमत 19200/रू. की दुगुनी दर से राशि 38400/रू. (अक्षरे रूपये अढतिस हजार चार सौ रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार को किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थीया को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान विपक्षी संख्या 01 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.29 12:38:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner